



सत्यमेव जयते

(भाग ई)

(PART E)



चिकित्सा मामले

MEDICAL MATTER

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निजी चिकित्सकों सहित सरकारी अथवा गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों से परामर्श/सर्विस के लिए सिविल सर्जनों को मामलों के आधार पर काम पर लगाना और फीस का भुगतान।	आईआरएमएम का पैरा 712	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब योग्य रेलवे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हों।</p> <p>3. रेलवे चिकित्सा नियमावली जिल्द-II के पैरा-712 में निहित प्रावधानों के अनुसार।</p> <p>4. भुगतान की सीमाओं आदि के संबंध में रेलवे बोर्ड के दिनांक 05/05/2006 का पत्र सं.2005/H/1/12/34/Pt. और दिनांक 18/10/17 (पैरा-4.2) का पत्र सं.2017/Trans/01/नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।</p> <p>5. बोर्ड के आदेश के अनुसार दर निर्धारित किए जाएँगे अर्थात् प्रथम रोगी के लिए 1000/- रुपये और प्रत्येक आगामी रोगी के लिए 200/- रुपये।</p>							
2	ब्रिगेड नियमों के अनुसार सेंट जान्स एंबुलेंस ब्रिगेड (एस जे ए बी) की वरदी, कपड़े एवं उपकरण (आरंभिक एवं नवीकरण) पर खर्च।	आईआरएमएम जिल्द-II का पैरा 1110	मु.चि.अधि.- प्रति वर्ष 15,000/- रुपये की स्थिति में प्रति अवसर पर 2,500/- रुपये।	अपर मु.चि.अधि.- प्रति वर्ष 15,000/- रुपये की स्थिति में प्रति अवसर पर 2,500/- रुपये	चि.अधि.- प्रति वर्ष 15,000/- रुपये की स्थिति में प्रति अवसर पर 2,500/- रुपये।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। निर्धारित अधिकतम वार्षिक सीमा 15,000/- रुपये - जिसमें सारी मंजूरियाँ शामिल हैं : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23/04/1987 का पत्र सं.88/H//1/5.</p> <p>2. रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार वरदी की आपूर्ति की जाएगी।</p>							
3	ब्रिगेड नियमों के अनुसार सेंट जॉन्स एंबुलेंस ब्रिगेड (एस जे ए बी) के परेड भत्ता पर खर्च।	आईआरएमएम जिल्द-II का पैरा 1111	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. एस जे ए बी द्वारा नियत/निर्धारित दरों पर।</p>							
4(i)	रे.अ./रिपका द्वारा नकद अग्रदाय से दवाइयों और औषधियों की खरीद।		मु.चि.अधि. - प्रति अवसर पर 80,000/- रुपये तक	अपर मु.चि.अधि./- प्रति अवसर पर 80,000/- रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. केवल वही औषधियाँ और दवाइयाँ स्थानीय दवा भंडारों से खरीदी जाए जो स्टॉक में उपलब्ध नहीं हो।</p> <p>3. सभी स्वीकृतियों के अधीन संचयी खर्च प्रति वर्ष 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>4. प्रति मद 2000/- रुपये से अधिक लागत की दवाइयों के लिए कम से कम तीन कोटेशन प्राप्त किए जाने चाहिए और कोटेशनों का सही रिकार्ड रखा जाना चाहिए।</p> <p>5. कोटेशन में दिए गए दर को पिछली खरीद के साथ तुलना किया जाए और स्थानीय खरीद करने से पहले किसी भी बड़े अंतर की जाँच की जाए।</p> <p>6. स्थानीय खरीद करने से पहले दर के औचित्य को प्रमाणित किया जाए।</p> <p>7. आपात्काल में जरूरी दवाइयाँ/औषधियाँ सीधे काउंटर से खरीदी जा सकती है।</p> <p>8. स्थानीय खरीद नकद रूप में की जाएगी और उधार पर खरीद करने की अनुमति नहीं है।</p>							

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Engagement and Payment of fees thereof to civil surgeons from Govt. or other than government medical institutions including private practitioners for consultation / service on case to case basis	Para 712 of IRMM	CMO - Full powers	ACMO - full powers	NIL	NIL	NIL
<p>Note:- 1. Finance concurrence is Not Necessary 2. This power should be exercised only when suitable railway doctors are not available. 3. Subject to provisions contained in Para-712 of Indian Railway Medical Manual Vol.II 4. The guidelines with respect to payment limits etc. given in the Railway Board letter No. 2005/H/1/12/34/Pt dated 05/05/2006 and No. 2017/Trans/01/Policy dated 18/10/17 (para-4.2) should be adhered to. 5. The rate shall be fixed in line with Board's order i.e Rs. 1000/- for first patient and Rs.200/- for each subsequent patient.</p>							
2	Expenditure on Uniform, clothing and other equipment (initial and renewal) of St.John's Ambulance Brigade(SJAB) as per brigade rules.	Para 1110 of IRMM Vol-II	CMO – Rs. 2500/- per occasion subject to Rs. 15,000/- per year	ACMO – Rs. 2500/- per occasion subject to Rs. 15,000/- per year	MS - Rs.2,500/- per occasion subject to Rs.15,000/- per year	NIL	NIL
<p>Note:- 1. Finance concurrence is NOT necessary. Annual ceiling limit is fixed at Rs.15,000/- covering all sanctions (Authority : Railway Board's letter No. 83/H/1/1/5 dated 23/04/1987. 2. The supply of uniforms shall be regulated as per Board's instructions from time to time.</p>							
3	Expenditure on parade allowance of St.John's Ambulance Brigade(SJAB) as per brigade rules.	Para 1111 of IRMM Vol-II	CMO - Full powers	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note:-1. Finance concurrence is NOT necessary. 2. At the rates fixed / specified by SJAB</p>							
4(i)	Purchase of Medicines and drugs from cash imprest by RH/RWF		CMO – Upto Rs. 80,000/- per occasion	ACMO – Upto Rs. 80,000/- per occasion	NIL	NIL	NIL
<p>Note:-1 Finance concurrence is NOT necessary. 2. Only those drugs and medicines which are not available in stock should be procured from local drug stores. 3. The cumulative expenditure under all sanctions should not exceed Rs.15.00 lakhs per annum. 4. Minimum of three quotations should be obtained for medicines costing over Rs.2000/- per item and proper record of such quotations should be maintained. 5. The rates quoted should be compared with the last purchase rates and any large difference checked up before making local purchase. 6. The rates are to be certified reasonable before making local purchase. 7. Medicines/drugs which are required in emergency, can be purchased across the counter. 8. The local purchase shall be made on cash and no credit purchase is permitted.</p>							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
4(ii)	भंडार विभाग द्वारा दवाइयों और औषधियों की स्थानीय खरीद।	भंडार एस ओ पी के मद सं.5 (कम मूल्य के स्टॉक एवं गैर-स्टॉक दोनों मदों की स्थानीय खरीद) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।					
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. केवल वही औषधियाँ और दवाइयाँ स्थानीय दवा भंडारों से खरीदी जाए जो स्टॉक में उपलब्ध नहीं हो।</p> <p>3. कोटेशन में दिए गए दर को पिछली खरीद के साथ तुलना किया जाए और स्थानीय खरीद करने से पहले किसी भी बड़े अंतर की जाँच की जाए।</p> <p>4. स्थानीय खरीद करने से पहले दर के औचित्य को प्रमाणित किया जाए।</p> <p>5. आपात्काल में जरूरी दवाइयाँ/औषधियाँ सीधे काउंटर से खरीदी जा सकती है।</p> <p>मद सं.4(i) एवं 4(ii) के लिए विशेष नोट :</p> <p>1. मद सं.4(i) एवं 4(ii) के अधीन सभी स्वीकृतियों द्वारा दवाइयों की खरीद के ऊपर व्यय सामान्य परिस्थितियों में दवाइयों के लिए कुल वार्षिक बजट से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>2. मद सं.4(i) एवं 4(ii) के अधीन दवाइयों की खरीद के प्रत्येक मामले में प्रशासनिक अनुमोदन मुचिधि/अपर मुचिधि द्वारा दी जानी चाहिए।</p> <p>3. चिकित्सा विभाग द्वारा आरंभ माँगपत्रों विशेषकर स्थानीय खरीद को मद सं.4(i) एवं 4(ii) के अधीन स्वीकृत किया जाए।</p> <p>4. थोक खरीद के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आरंभ माँगपत्र, परन्तु भंडार विभाग द्वारा स्थानीय खरीद के अधीन प्रापण की स्थिति में उपरोक्त मदों के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।</p>							
5	आपातकाल में ट्रॉस्फूजन के लिए मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों से रक्त की खरीद।	आईआरएमएम का पैरा 639(6)	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि- पूरी शक्तियाँ	वरि.मंचिधि- पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट :- वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।							
6	शिविरों के लिए प्रचार-प्रसार/ विज्ञापन सामग्री तथा अन्य वाहन संबंधित खर्च के लिए अग्रिम निकासी	दिनांक 02.08.1999 का आरबी सं.99/H(FW) (1)/II/J	मु.चि.अधि. - प्रति कैप 10,000/- रुपये तक	अपर मु.चि.अधि. - प्रति कैप 10,000/- रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. अग्रिम के तौर पर ली गई राशि का लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए और लेन-देन को नियमित करने के लिए सभी संबंधित वाउचर/रसीदों को कार्यक्रम के 15 दिनों के भीतर लेखा विभाग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>							
7	सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थानों से कृत्रिम अंगों की खरीद व उसके लिए अग्रिम भुगतान।	आईआरएमएम जि.। का पैरा 636	मु.चि.अधि. - पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि. -प्रति मामला 10,000/- रुपये तक	वरिमंचिधि.-प्रति मामला 5,000/- रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>2. यदि मूल्य 1,000/- रुपये से अधिक हो तो दर की औचित्य को आंकने के लिए कम से कम तीन कोटेशन प्राप्त किए जाने चाहिए।</p> <p>3. खरीद, मरम्मत, नवीकरण अथवा समायोजन कार्य संबंधित केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज, कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे या ऐसे अन्य संगठनों एवं केंद्रों के पुनर्वास विभाग द्वारा की जानी चाहिए।</p> <p>4. कृत्रिम अंग/उपकरण के मरम्मत या समायोजन की लागत, कृत्रिम अंग/उपकरण को बदलने में लगने वाली लागत से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>5. दर की औचित्य प्रमाणित की जाएगी।</p>							

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
4 (ii)	Local Purchase of Medicines and drugs through Stores department	Powers delegated under item No.5 (Local Purchase of items of small value both stock and Non-stock) of Stores SOP should be followed.					
<p>Note:- 1 Finance concurrence is NOT necessary.</p> <p>2. Only those drugs and medicines which are not available in stock should be procured from local drug stores.</p> <p>3. The rates quoted should be compared with the last purchase rates and any large difference checked up before making local purchase.</p> <p>4. The rates are to be certified reasonable before making local purchase.</p> <p>5. Medicines/drugs which are required in emergency, can be purchased across the counter.</p> <p>Special Note for item 4 (i) & 4(ii) :</p> <p>1. The expenditure on purchase of medicines through all sanctions under item 4(i) and 4(ii) under normal circumstances should not exceed 15% of the total annual budget for medicines.</p> <p>2. The administrative approval for purchase of medicines under 4(i) & 4(ii) should be given by CMO/ACMS for each case.</p> <p>3. The Indents initiated by Medical Department specifically for LP shall only be considered under item 4 (i) and 44 (ii).</p> <p>4. The indent initiated by Medical Department for bulk purchase, but procurement made by Stores under LP power shall not be considered under the above items.</p>							
5	Purchase of blood for transfusion from recognised blood banks in emergencies.	Para 639 (6) of IRMM	CMO- Full powers	ACMO - Full powers	Sr.DMO - Full powers	NIL	NIL
Note:- Finance concurrence is NOT necessary.							
6	Drawal of advance towards publicity / advertising material and other conveyance related expenditure for camps.	RB No 99/H(FW)(1)/I/I/J dated 02.08.1999	CMO - Upto Rs.10,000/- per camp	ACMO - Upto Rs.10,000/- per camp	NIL	NIL	NIL
<p>Note:- 1. Finance concurrence is NOT necessary.</p> <p>2. The amounts taken as advance should be accounted for and all relevant vouchers / receipts should be submitted to accounts within 15 days of the event to regularize the transaction.</p>							
7	Procurement of artificial limbs from Government / recognized institutions, including advance payment thereof.	Para 636 IRMM Vol-I	CMO – Full Powers	ACMO-Upto Rs.10,000/- per case	Sr.DMO - Upto Rs.5,000/- per case	NIL	NIL
<p>Note:- 1. Finance concurrence is NOT necessary.</p> <p>2. Production of certificate from a specialist in the concerned specialist in the Railway Hospital that the purchase, repairs and renewals or adjustments are essential</p> <p>3. Purchase, repairs, renewals or adjustments being done at the rehabilitation department of a Medical College, Artificial Limb Center, Pune or such other organizations and centers recognized for the purpose by the Central / State Government concerned.</p> <p>4. The cost of the repairs or adjustments of the limb / appliance should not be exceed the cost of the replacement of the limb / appliance.</p> <p>5. The rate shall be certified reasonable.</p>							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	अस्पताल उपकरणों का अनुरक्षण और सर्विस हेतु संविदा ।	दिनांक 18.10.2017 का पत्र सं. 2017/Trans/01/नीति	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि. -प्रति मामला 20,000/- रुपये तक	वरिमंचिधि.-प्रति मामला 15,000/- रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. सर्विसिंग एवं अनुरक्षण तथा प्रति अवसर पर प्रत्येक मशीन पर 15,000/- रुपये से अधिक मरम्मत खर्च के लिए वार्षिक संविदा देने हेतु वित्तीय सहमति आवश्यक है ।</p> <p>2. यदि मरम्मत का अनुमानित मूल्य 5,000/- रुपये से अधिक हो तो मरम्मत/एएमसी कराने के लिए प्रख्यात फर्मों से कम से कम तीन कोटेशन मंगाए जाने चाहिए ।</p> <p>3. यदि अनुमानित मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक हो तो, कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाए ।</p>							
9	अस्पताल उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए ओ ई एम/प्राधिकृत डीलरों के साथ एकल निविदा पर वार्षिक अनुरक्षण संविदा स्वीकार करना ।	दि.18.10.17 का पत्र सं.2017/Trans/01/ नीति	मु.चि.अधि. -प्रति वर्ष प्रति मद 2 लाख रुपये तक ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक है ।</p> <p>2. जहाँ ओ ई एम/प्राधिकृत डीलर्स बयाना राशि अथवा प्रतिभूति जमा पेश करने में अनिच्छुक हों तो उनपर जोर नहीं दिया जाए ।</p>							
10	अस्पताल उपकरणों के लिए संविदा के मामले में वार्षिक/त्रैमासिक अनुरक्षण सर्विसिंग चार्ज का अग्रिम भुगतान ।	रे.बो. का दिनांक 27.06.2000 का पत्र सं.F(X)II-99/ PW/3	मु.चि.अधि. - प्रति मामला 1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक है ।</p> <p>2. ओ ई एम/प्राधिकृत एजेंटों के मामले में 20,000/- रुपये तक अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है ।</p>							
11	अस्पताल उपकरणों की अनुरक्षण, सर्विसिंग संविदा के लिए संविदा और राइडर करार पर हस्ताक्षर करना ।	इंजी. कोड के पैरा 1259	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- 50 लाख रुपये तक	वरिमंचिधि.- 10 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. करार/संविदा की वित्तीय पुनरीक्षण आवश्यक है ।</p> <p>2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा/कोटेशन स्वीकृत होने के उपरांत ही इसके अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाए ।</p> <p>3. जहां मानक करार अस्तित्व में नहीं है तो, संविदा/करार को विधि अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाए ।</p> <p>4. प्रमुख करार के राइडर करार पर उसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसने मूल करार पर हस्ताक्षर किया है, बशर्ते कि निविदा/कोटेशनों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो ।</p> <p>5. हस्ताक्षर प्राधिकारी वे होंगे जिन्हें विधि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा ऐसा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हों ।</p>							
12	रेलवे परिसर से कूड़ा-कचड़ा का निपटारा/परिवहन के लिए खुली निविदा आमंत्रित करना और उसे स्वीकार करना ।	दिनांक 18.10.2017 का आरबी सं. 2017/Trans/01/नीति	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- प्रति मामला 50 लाख रुपये तक	कनिप्रग्रे में वरिमंचिधि.- प्रति मामले 10 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक है ।</p> <p>2. कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी लेना ।</p> <p>3. केएसपीसीबी द्वारा निर्धारित वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।</p>							

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
8	To enter into Contracts for maintenance and servicing of Hospital Equipments	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO – Full Powers	ACMO - Upto Rs.20,000/- per occasion	Sr.DMO - Upto Rs. 15000/- per occasion	NIL	NIL
<p>Note :- 1. Finance concurrence is necessary for entering into Annual contract for servicing and maintenance, and for repairs exceeding Rs. 15,000/- per machine on each occasion.</p> <p>2. Minimum of three quotations shall be obtained from reputed firms in the field, for undertaking repairs, if the estimated value of the repairs / AMC is more than Rs.5,000/- other than OEM/Authorised dealer.</p> <p>3. If the estimated value is more than Rs.1 lakh, tender procedure should be followed after obtaining competent authorities sanction for the work.</p>							
9	To enter into AMC on single tender basis with OEM/authorised dealers for servicing and maintenance of Hospital equipments.	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO - Upto Rs.2 lakhs per item per year	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :- 1. Finance concurrence is necessary</p> <p>2. Where OEMs/authorised dealers are reluctant to submit Earnest Money or Security Deposit, the same may not be insisted upon.</p>							
10	Advance payment of annual / quarterly maintenance servicing charges in case of contracts for Hospital equipments.	Railway Board's letter No.F(X)II-99/PW/3 dated 27.06.2000.	CMO - Upto Rs.1 Lakh in each case.	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1 Finance concurrence is necessary</p> <p>2. Bank guarantee need not be insisted upon in case of payment of advances upto Rs.20,000/- in the case of OEM/Authorised agents.</p>							
11	Signing of Contract and Rider agreements for maintenance, servicing contracts for Hospital Equipments	Para 1259 of Engg Code	CMO - Full powers	ACMO – Upto Rs. 50 lakhs	Sr.DMO - Upto Rs. 10 lakhs in each case	NIL	NIL
<p>Note:-1. Finance Vetting of the Agreement / Contract is necessary</p> <p>2. Powers under this are to be exercised only after the acceptance of the tender/quotation by the competent authority</p> <p>3. Contract / Agreements are to be vetted by Law officer where standard agreement does not exist</p> <p>4. Rider agreement to the main agreement shall be signed by the authority who signed the original agreement provided the approval of the accepting authority of the tender/quotations is obtained.</p> <p>5. Signing authority should be those empowered as per ministry of law notification issued from time to time.</p>							
12	To invite and accept Open Tender for Ambulance services and for disposal of Hospital wastes/Biological wastes.	RB No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO - Full Powers	ACMO – Upto Rs. 50 Lakhs in each case	Sr.DMO in JAG – Upto Rs. 10 lakhs in each case	NIL	NIL
<p>Note:-1. Finance concurrence is necessary.</p> <p>2. Obtaining competent authorities sanction for the work.</p> <p>3. The extant instructions stipulated by KSPCB shall be followed duly.</p>							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
13	रेलवे अस्पताल में गैर-रेल रोगियों की भर्ती।	आईआरएमएम का पैरा 622	मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2. रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचे स्थानों की उपलब्धता के अनुसार। 3. इस प्रकार भर्ती रोगियों से संबंधित नियमानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जाए।</p>							
14	खाद्य पदार्थ अर्थात्, दूध, ब्रेड, सब्जियाँ, किराना सामान आदि की आपूर्ति के लिए संविदा देना।	आईआरएमएम का पैरा 405	मुचिधि-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p>							
15	खाद्य पदार्थ अर्थात्, दूध, ब्रेड, सब्जियाँ, किराना सामान आदि की खरीद।	आईआरएमएम का पैरा 405	मुचिधि- 5,000/-रुपये प्रति अवसर	अपर मु.चि.अधि.- 2,000/-रुपये प्रति अवसर	वरिमंचिधि. - प्रति वर्ष 5000/- रुपये की स्थिति में प्रत्येक मामले में 1000/- रुपये तक।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2. इस शक्ति का प्रयोग केवल आपात्काल में किया जाए जब आपूर्ति के लिए संविदा उपलब्ध नहीं हो। 3. इस व्यय के लिए अस्पताल अगुदाय का उपयोग किया जाएगा।</p>							
16	अवधि समाप्त हो चुकी दवाइयों के कारण हुई क्षति को बट्टे खाते में डालना।	जि.-I का पैरा 1102F	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :-1. वित्तीय सहमति आवश्यक है। 2. भंडार में उपलब्ध दवाइयों/औषधियों पर आवधिक समीक्षा करने की जरूरत है ताकि ऐसी दवाइयों को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले किसी अन्य अस्पताल में उपयोग के लिए स्थानांतरित किया जा सके। 3. बट्टे खाते में डाली गई क्षति का त्रैमासिक विवरण सूचना हेतु महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाए।</p>							
17	जिन कपड़ों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें जलाकर नष्ट करना।	आईआरएमएम का पैरा 409 एवं 411(2)	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	वरिमंचिधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p>							
18	रेपका की सूची में शामिल अस्पतालों में रोगियों को रेफर करना	दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/स्था/01/नीति	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. सूची में शामिल अस्पतालों में रोगी को तभी रेफर किया जाएगा जब वर्तमान आवश्यक सुविधा रे.अ./रेपका में उपलब्ध नहीं हो। 2. रोगियों को रेफर करने के लिए क्रम संख्या वाले रेफरल पत्र जारी किया जाएगा। 3. अस्पताल द्वारा दावा करने के लिए रेफरल पत्र एक दस्तावेज का काम करेगा।</p>							
19	सूचीबद्ध अस्पतालों के भुगतान की स्वीकृति एवं मंजूरी	दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/स्था/01/नीति	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	वरिमंचिधि.- प्रति मामले 5 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Admission of non-railway patients to railway hospitals. Note:- 1. Finance concurrence is NOT necessary. 2. Subject to availability of spare accommodation after meeting the requirements of the railway staff and their families. 3. The prescribed charges under the relevant rules should be recovered from the patients so admitted.	Para 622 of IRMM	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	MS - Full powers	NIL	NIL
14	To enter into contract for supply of Diet items Viz., Milk, Bread, Vegetables, Provisions etc., Note:- 1. Finance concurrence is not necessary upto Rs. 1 lakh per year.	Para 405 of IRMM	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	NIL	NIL	NIL
15	Purchase of Diet items Viz., Milk, Bread, Vegetables, Provisions etc. Note:-1. Finance concurrence is not necessary. 2. This power should be exercised where the contract for supplies is not in place. 3. The Hospital Imprest shall be used to meet this expenditure	Para 405 of IRMM	CMO – Rs. 5000/- per occasion	ACMO- Rs.2,000/- per occasion	Sr.DMO - Upto Rs.1000/- in each case subject to Rs.5000/- per year	NIL	NIL
16	To write off losses due to expired date medicines Note:-1. Finance concurrence is necessary. 2. A periodical review of medicines / drugs available in stores need to be undertaken so as to explore the possibilities of transferring such non-moving drugs before the expiry date, to other railway Hospitals for its use. 3. Quarterly statement of losses written off should be put up to General Manager for information.	Para 1102 F Vol-I	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	NIL	NIL	NIL
17	To condemn or destroy by burning linens which cannot be re-used. Note:- Finance concurrence is not necessary.	Para 409 and 411 (2) of IRMM	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	Sr.DMO – Full powers	NIL	NIL
18	Referral of patient to RWF empanelled Hospital Note :-1. The patients shall be referred to the empanelled hospital in cases where the existing infrastructure to treat them is not available at RH/RWF. 2. The serially numbered referral letter shall be issued to refer the patients. 3. The referral letter shall be part of the document to claim payment by the hospital.	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	NIL	NIL	NIL
19	To accept and sanction Payment to empanelled referral Hospitals	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	Sr.DMO – Upto Rs. 5 lakhs in each case	NIL	NIL

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>नोट :- 1. यह प्रमाणित किया जाएगा कि- किया गया इलाज स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप है । 2. रोगी के इलाज के लिए की गई जाँच/निदान अपेक्षित है । 3. दर सीजीएचएस के अनुरूप हो तथा नियम और शर्तों को स्वीकार किया गया है ।</p>						
20	मेडिकल एवं सर्जिकल उपकरण/यंत्रों (एम & पी मद के अलावा) के प्रापण की मंजूरी	जि.-I का पैरा 705(6) F	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	<p>नोट :- 1. प्रत्येक मामले में मदों का लागत 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी । 2. एन एस माँगपत्र द्वारा प्रापण किया जाएगा और खरीद भंडार विभाग द्वारा की जाएगी । 3. ऐसी मदों पर व्यय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । 4. प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक व्यय के मामले में संबंधित वित्त विभाग से वित्तीय सहमति आवश्यक है । 5. खरीद के दस्तावेजों को सत्यापन हेतु उचित रख-रखाव किया जाए ।</p>						
21	एएमए द्वारा निर्दिष्ट मामलों के लिए प्रदान की गई सेवा के लिए गैर-रेलवे की पहचान वाली संस्थाओं में विशेष निदान जाँच की मंजूरी ।	दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/स्था/01/नीति	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	<p>नोट :- 1. इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाए जब रे.अ./रेपका की सूची में शामिल अस्पतालों में वर्तमान आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो । 2. ऐसी जाँचों की दरे उचित होनी चाहिए । 3. प्रति मामले 10,000/- रुपये तक होने पर वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है ।</p>						
22	चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए विस्तृत प्राक्कलन की मंजूरी	म.प्र. के एस ओ पी का मद 40	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.- 1 करोड़ रुपये तक	वरिमंचिधि- 50 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	<p>नोट :- 1. वित्त विभाग द्वारा प्राक्कलन की विदीक्षा की जाएगी । 2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी मंजूरी के बाद प्रापण के लिए कार्रवाई की जाएगी । 3. एन.एस. माँगपत्र के जरिए भंडार विभाग द्वारा प्रापण किया जाएगा । 4. प्रत्येक मामले के लिए बजट निधि के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाएगा ।</p>						
23	गैर-मान्यता प्राप्त/निजी अस्पतालों में उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	रेलवे बोर्ड का दि.31/01/2007 का पत्र सं.2005/H/6-4/नीति-II एवं दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy	मु.चि.अधि.-1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	<p>नोट :- 1. एक लाख रुपये तक के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । 2.सीजीएचएस दरों के अधीन आने वाले उपचार के मामले में सीजीएचएस दरों का ही भुगतान किया जाएगा । 3. उपचार आपात स्थिति में ही लिया गया हो और विधिवत रेलवे अस्पताल/रेपका द्वारा प्रमाणित किया गया हो । 4.आपात स्थिति में गैर-मान्यता प्राप्त/निजी अस्पतालों में भर्ती होते ही रेलवे अस्पताल /रेपका को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए ।</p>						

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Note :- 1. It shall be certified that the treatment administered is in line with the established protocol. 2. The tests/diagnostics conducted are required for treatment of patient. 3. The rates are as per the CGHS and accepted terms and conditions.</p>							
20	Sanction of procurement of Medical and Surgical equipment/instruments (other than M&P item)	Para 705 (6) F Vol-I	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. The items shall not cost more than Rs. 50,000/- in each case. 2. Procurement shall be made through N.S indent and purchased through Stores department. 3. The expenditure on such items shall not exceed Rs. 5 lakhs. 4. Associate Finance concurrence is necessary when the expenditure exceeds Rs. 5 lakhs per annum. 5. Proper documentation of purchases shall be ensured for verification.</p>							
21	Sanction of Special diagnostic investigation in Non- Railway identified institutions for service rendered for cases referred by AMA.	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO – Full Powers	ACMO – Full Powers	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. This power shall be exercised where the facility is not available at RH/RWF and in empanelled Hospitals. 2. The rates for such tests shall be reasonable. 3. Finance concurrence is not required upto Rs. 10,000/- in each case.</p>							
22	Sanction of Detailed Estimates for purchase of medical equipment.	Item 40 of GM’s SOP	CMO – Full Powers	ACMO – Upto Rs. 1 crore	Sr.DMO - Upto Rs.50 lakhs	NIL	NIL
<p>Note :-1. The estimate shall be vetted by Finance. 2. The procurement shall be initiated as technical sanction of the estimate by Competent Authority. 3. The procurement shall be made through Stores department duly initiating N.S Indent. 4. Provision of funds shall be ensured in the budget for each case.</p>							
23	Reimbursement of medical expenditure for the treatment taken in Non-recognised/ Private Hospitals	Railway Board’s letter No. 2005/H/6-4/Policy-II dated 31/01/2007 & No. 2017/Trans/01/Policy dated 18/10/2017	CMO – Upto Rs. 1 lakhs	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Finance concurrence is not necessary upto Rs.1 Lakh. 2. Only CGHS rates are payable wherever the treatment is covered under CGHS tariff. 3. The treatment should have been taken in emergency and duly certified by RH/RWF. 4. RH/RWF should be immediately informed on admission in Non-recognised/Private Hospital in case of emergency.</p>							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
24	सरकारी अस्पतालों में कराए गए इलाज के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	रेलवे बोर्ड का दि.31/01/2005 का पत्र सं.2005/H/6-4/नीति-II एवं दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । 2. सरकारी अस्पताल द्वारा प्रभार्य देय पूरी राशि । 3. आपातकाल में उपचार के लिए ले जाया गया हो एवं रे.अ.रेपका द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए । 4. आपातकाल में सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत रे.अ.रेपका को सूचना दी जानी चाहिए ।</p>							
25	किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल जो सूची में नहीं हो उसमें किसी बीमारी के इलाज पर किए गए व्यय के लिए प्रतिपूर्ति	रेलवे बोर्ड का दि.31/01/2007 का पत्र सं.2005/H/6-4/नीति-II एवं दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy	मु.चि.अधि.-1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. लाख रुपये तक के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । 2. रेलवे द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 3. जहाँ कहीं रेलवे दर उपलब्ध नहीं हो, तो प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा उपरी सीमा के दौर पर मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 4. आपात काल में मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत रे.अ.रेपका को सूचित किया जाना चाहिए ।</p>							
26	रेपका लाभार्थियों द्वारा आपातकाल में गैर-रेफर सरकारी/मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में उपचार के लिए चिकित्सा अग्रिम की मंजूरी	रेलवे बोर्ड का दि.31/01/2007 का पत्र सं.2005/H/6-4/नीति-II एवं दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy	मु.चि.अधि.- वार्षिक सीमा के बिना 1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । 2. आपातकाल में गैर-रेफर सरकारी/मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत रे.अ.रेपका को सूचना दी जानी चाहिए । 3. किडनी रोपण के लिए अग्रिम भुगतान के लिए महाप्रबंधक की मंजूरी आवश्यक है एवं सीजीएचएस नीति के अनुसार ।</p>							
27	मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में रेलवे लाभार्थियों का सी टी स्कैन/एमआरआई कराने के लिए रेफर करना/व्यय की मंजूरी प्रदान करना ।	आईआरएमएम जि-1 का पैरा 663 एवं 664	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में की गई जाँचों के लिए 15,000/- तक की राशि के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है । 2. इलाज करने वाले डॉक्टर की सिफारिश फाइल उपलब्ध होनी चाहिए । 3. पीईटी स्कैन के मामले में, एनएबीएल एक्केडिट लैब के लिए मंजूरी की सीमा 21,000/- रुपये है और गैर-एनएबीएल एक्केडिट लैब/अस्पतालों के लिए मंजूरी की सीमा 17,850/- रुपये है ।</p>							

MEDICAL

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Reimbursement of Medical expenditure for the treatment taken in Government Hospitals	Railway Board's letter No. 2005/H/6-4/Policy-II dated 31/01/2007 & No. 2017/Trans/01/Policy dated 18/10/2017	CMO - Full powers	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Finance concurrence is NOT necessary. 2. Full admissible amount as charged by the Government Hospital is payable. 3. The treatment should have been taken in emergency and duly certified by RH/RWF. 4. RH/RWF should be immediately informed on admission in Government Hospital in case of emergency.</p>							
25	Reimbursement of Medical expenditure for an ailment taken in recognized private hospital for which it is not recognized	Railway Board's letter No. 2005/H/6-4/Policy-II dated 31/01/2007 & No. 2017/Trans/01/Policy dated 18/10/2017	CMO - Upto Rs. 1 lakh	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Finance concurrence is not necessary upto Rs.1 Lakh. 2. Rate as approved by Railway should be processed for sanction. 3. Wherever Railway rates are not available, the reimbursement shall be made at CGHS rates and processed as an upper limit for sanction. 4. RH/RWF should be immediately informed on admission in recognised private hospital in case of emergency.</p>							
26	To sanction medical advance in case of emergency treatment taken by RWF beneficiaries in non-referred Govt. / recognized or non-recognised Pvt. Hospital	Railway Board's letter No. 2005/H/6-4/Policy-II dated 31/01/2007 & No. 2017/Trans/01/Policy dated 18/10/2017	CMO - Upto Rs. 1 lakh without annual ceiling	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Prior finance concurrence is not necessary. 2. RH/RWF should be immediately informed on admission in non-referred Govt./recognized or non-recognised Pvt. Hospital in case of emergency. 3. Advance Payment for transplant of Kidney would require sanction of GM and subject to CGHS policy</p>							
27	To refer / sanction expenditure to Railway Beneficiaries for CT Scan / MRI done at Recognized / Non-Recognized Medical Institutions	Para 663 & 664 of IRMM Vol-I	CMO - Full powers	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Finance concurrence Upto Rs.15,000/- per case is NOT necessary for tests done at Recognized / Non-Recognized institutions. 2. Recommendation of Treating Doctor should available in the case file 3. In case of PET Scan, the sanction is limited to Rs.21,000/- for NABL Accredited Labs / Hospitals and Rs.17,850/- for Non-NABL Accredited Labs / Hospitals.</p>							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
28	रेलवे लाभार्थियों को पीईटी स्कैन के लिए गैर-रेलवे चिकित्सा संस्थानों में रेफर करना।	आईआरएमएम का पैरा 664(i)	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. एनएबीएल एक्स्ट्रिट लैब के लिए मंजूरी की सीमा 21,000/- रुपये है और गैर-एनएबीएल एक्स्ट्रिट लैब/अस्पतालों के लिए मंजूरी की सीमा 17,850/- रुपये है।</p> <p>2. पीईटी स्कैन के जिन मामलों में खर्च ऊपर 1 में दर्शायी सीमा से अधिक हो जाए तो प्रविस की विधिवत सहमति से रेल मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।</p> <p>3. इलाज करने वाले डॉक्टर की सिफारिश केस फाइल में उपलब्ध होनी चाहिए।</p>							
29	गैर-रेलवे लाभार्थियों के मामले में अस्पताल प्रभार्य की छूट	म.प्र. के एस ओ पी का मद सं. 27	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	अपर मु.चि.अधि.-प्रत्येक मामले में 5,000/- रुपये तक (नोट: मुचिनि को रिपोर्ट भेजी जाए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. जब राशि 1000/- रुपये से अधिक हो तो वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक गरीब गैर-रेल रोगियों को केवल आपातकाल में रेलवे अस्पताल में भर्ती करने के मामले में किया जाए।</p>							
30	गैर-रेलवे स्वास्थ्यलय/अस्पतालों में टीबी/एड्स रोगियों के इलाज के लिए विशेष दवाइयों की लागत की मंजूरी।	दिनांक 05.07.1978 का पत्र सं.78/H/S/3	मु.चि.अधि.-प्रति मामले 2500/- रुपये	अपर मु.चि.अधि.-प्रति मामले 2500/- रुपये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट :-1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।							
31	सरकारी/निजी प्रयोगशाला में औषधियों/दवाईयों एवं अन्य चिकित्सीय मदों तथा पानी और भोजन के नमूनों की जाँच करने के लिए मंजूरी प्रदान करना।	वित्तीय कोड जि-1 का पैरा 1040	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	आपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1.मुचिधि दवाईयों की जाँच के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे और तदनुसार मदों की जाँच के लिए निश्चित करेंगे।</p> <p>2. प्रति मामले 25000/- रुपये तक के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।</p> <p>3. जाँच हेतु दवाईयों के नमूने मान्यता प्राप्त औषधि जाँच प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और वित्तीय परामर्श से मुचिधि द्वारा मान्यता दी जाएगी।</p>							
32	आणविक ऊर्जा नियामक एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी एजेंसियाँ जैसे मैसर्स बार्क को रेडियोलॉजी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आरक्षित रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए भुगतान।	वित्तीय कोड जि-1 का पैरा 1040	मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	आपर मु.चि.अधि.-पूरी शक्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
नोट :- 1. प्रथम बार के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है और आगामी भुगतान के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है।							

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
28	To refer Railway Beneficiaries to Non-Railway Medical Institutions for PET Scan	Para 664(1of IRMM	CMO - Full powers	NIL	NIL	NIL	NIL
Note :-1. The sanction is limited to Rs.21,000/- for NABL Accredited Labs / Hospitals and Rs.17,850/- for Non-NABL Accredited Labs / Hospitals. 2. The cases where the cost of PET Scan exceeds the limit indicated in 1. above should be referred to Ministry of Railways duly concurred by PFA 3. Recommendation of Treating Doctor should available in the case file							
29	Waival of Hospital charges in respect of Non-Railway Beneficiaries	Item No. 27 of GM's SOP	CMO - Full powers	ACMO – Upto Rs. 5,000/- in each case (Note: Report to be sent to CMD)	NIL	NIL	NIL
Note :- 1. Finance concurrence is necessary when the amount exceed Rs.1000/- 2. These powers are to be exercised in respect of deserving indigent Non-Railway cases admitted in Railway Hospitals in emergent Circumstances only							
30	To Sanction the cost of Special Drugs for TB / AIDS Patients treated in Non-Railway Sanatoria / Hospitals	Ltr No.78/H/S/3 dated 05.07.1978	CMO – Rs.2500/- per case	ACMO – Rs.2500/- Per case	NIL	NIL	NIL
1. Finance concurrence is NOT necessary.							
31	To sanction expenditure for testing of drugs / medicines and other medical items and water and food samples in Govt / Private Laboratory	Para 1040 of Financial Code Vol I	CMO - Full powers	ACMO - full powers	NIL	NIL	NIL
Note :-1. CMO will draw the schedule for testing of drugs and decide the items to be tested accordingly 2. Finance Concurrence is not necessary upto Rs.25000/- in each case 3. Drug sample shall be sent to Recognized Drug testing Laboratory and the recognition being given by CMO in consultation with Finance Concurrence							
32	Payment to outside agencies accredited by Atomic Energy Regulatory Agencies like M/S.BARC for monitoring the radiation reserved for Staffs working in Radiology Department	Para 1040 of Financial Code Vol I	CMO - Full powers	ACMO - full powers	NIL	NIL	NIL
Note :- 1. Finance Concurrence is necessary for First Time and subsequent Payment Concurrence is not necessary							

मद सं.	मदों का विवरण	प्राधिकार	समन्वय विभागाध्यक्ष	वरि.प्र.ग्रे.	उप विभागाध्यक्ष	वरि वेतनमान	कवे/सहा अधि
1	2	3	4	5	6	7	8
33	मेडिकल इम्प्लांट जैसे हियरिंग ऐड, बाई-पैप/सी-पैप एवं अन्य इम्प्लांट आदि की खरीद और आपूर्ति तथा रोगियों में रोपण के लिए संकर्म संविदा/खरीद आदेशों को मंजूरी प्रदान करना।	दि.18.10.17 का पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy	मु.चि.अधि.- 1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
<p>नोट :- 1. वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। 2. समय-समय पर जारी सीजीएचएस नीतियों द्वारा लागत सीमा तय की जाएगी।</p>							

Sl. No.	Particulars of Item	Authority	Coordinating HOD	S.A. Grade	Dy. HOD	Sr. Scale	Jr. Scale/ Asst. Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
33	To sanction works contract / purchase orders for procurement of Medical Implants such as Hearing Aid, Bi-Pap / C-Pap and other Implants to be purchased for supply / Implant to the patients	Ltr No: 2017/Trans/01/ Policy dated 18.10.2017	CMO – Upto Rs. 1 lakhs	NIL	NIL	NIL	NIL
<p>Note :-1. Finance concurrence is NOT necessary. 2. The cost ceiling shall be governed by CGHS policies issued from time to time</p>							

